

छात्रा पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगाई, हालत नाजुक

हनमकोंडा (तेलंगाना), 27 फरवरी (भाषा)।

प्रणय निवेदन टुकड़ा देने पर नाराज युवक ने 18 साल की एक छात्रा पर कथित रूप से पेट्रोल छिड़क दिया और उसे आग लगा दी। इससे वह करीब 80 फीसद घायल हो गई। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी।

पुलिस के अनुसार 21 वर्षीय आरोपी ने बाद में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। उसे गिरफ्तार कर लिया गया। वह उसी निजी कॉलेज में पढ़ रहा था जिसमें छात्रा पढ़ती थी। छात्रा पर यह हमला बुधवार की सुबह को वारंगल पुलिस आयुक्त कार्यालय के समीप हुआ है।

वारंगल के पुलिस आयुक्त वी रवींद्र ने बताया कि आरोपी पिछले छह महीने से लड़की से प्रणय निवेदन कर रहा था और उसे परेशान कर रहा था लेकिन उसने उसके निवेदन को टुकड़ा दिया। छात्रा ने अपने माता-पिता से भी इस बात की शिकायत की थी।

- लड़की 80 फीसद घायल हो गई, आरोपी गिरफ्तार
- लड़के के परिजनों से पहले भी शिकायत की गई थी
- आरोपी उसी निजी कॉलेज में पढ़ रहा था जिसमें छात्रा पढ़ती थी।

था। उस पर उसके माता-पिता ने आरोपी के पिता से बातचीत की और उन्हें अपने बेटे पर अंकुश रखने को कहा।

छात्रा की अनदेखी से नाराज होकर आरोपी ने उस पर कथित रूप से पेट्रोल छिड़क दिया और उसे आग लगा दी। उस वकत छात्रा कालेज परिसर में प्रवेश कर रह थी। लड़की का वारंगल के महात्मा गांधी मेमोरियल अस्पताल में इलाज चल रहा है जहां के डॉक्टरों ने बताया कि उसकी हालत गंभीर है।

दो लोगों की भीड़ ने पोट-पोटकर की हत्या

गुवाहाटी, 27 फरवरी (भाषा)।

असम के चिरांग जिले में बुधवार को उग्र भीड़ ने ग्राम प्रधान की हत्या का जिम्मेदार ठहराते हुए दो लोगों की पीट-पोटकर हत्या कर दी। दोनों व्यक्तियों ने मंगलवार को बिजनी पुलिस थाना अंतर्गत गरागांव के ग्राम प्रधान की कथित रूप से हत्या करने के बाद उनके शव को एक कब्रिस्तान में दफना दिया था। ग्राम प्रधान गौरांग दास के परिजनों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर मंगलवार की रात उनकी तलाश शुरू की, लेकिन कुछ पता नहीं चलने के बाद देर रात वे अपने-अपने घर लौट आए।

प्रारूप संख्या. आईएनसी-26
(कंपनी (निगम) नियम 2014 के नियम 30 के अनुसार) में कर्नाटक सरकार के समग्र प्रादेशिक निदेशक उत्तरी क्षेत्र कम्पनी अधिनियम, 43, की उप-धारा 4) और कर्नाटक (निगम) नियम, 2014 के नियम के परिचयन (डॉ) 39 के खंड (क) 39 के मामले में और

मोहन इलेक्ट्रोकार्पेटिंग प्राइवेट लिमिटेड (CIN-U27310DL2002PT166412)
रिजर्व कार्पोरेशन कार्यालय, BJ-84, गिरीशानगर बाजार, (हैदर) नई दिल्ली-88, पर स्थित है के शाहीनबाजार, (हैदर) नई दिल्ली-88, पर स्थित है के

मामले में जांचिकाओं द्वारा जनाता को वे नॉटिस दी जाती है कि यह कम्पनी केंद्रीय सरकार के समक्ष कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 13 अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत का प्रस्ताव करती है जिसमें कम्पनी का रजिस्ट्रेशन कार्यालय 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली' से 'उत्तर प्रदेश राज्य' में स्थानान्तरित करने के लिए तारीख 25.02.2019 को आयोजित असाधारण साधारण अधिवेशन में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ में कम्पनी के संगम साधन संशोधन की पुष्टि की मांग की गई है।

कम्पनी के रजिस्ट्रेशन कार्यालय के प्रस्तावित स्थानान्तरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो विशेषज्ञ समूह का सदस्य बनकर या 'मैट्रिक्स' पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक प्रमाण पत्र जिसमें उक्त हित का प्रभाव और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो के साथ अपनी आपीत प्रतिलिपि को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के भीतर प्रादेशिक निदेशक की-2, विद्युत, दूरतार, परिवहन विभाग, सीजीओ कार्यालय, नई दिल्ली-110003 पते पर पंजीकृत अकांक्षा द्वारा जमा सकता है या सूचित कर सकते हैं और इसकी प्रति आवेदन कम्पनी को उनके निम्नलिखित रजिस्ट्रार कार्यालय पते पर भी भेजेंगे:

आवेदन के लिए और आवेदन की ओर से **मोहन इलेक्ट्रोकार्पेटिंग प्राइवेट लिमिटेड**
अध्यक्ष एवं **प्रबंधक**
पता: BJ-84, शाहीनबाजार, (हैदर) नई दिल्ली-88

UNITED DRILLING TOOLS LIMITED
CIN: L29199DL1985PLC015796
Regd. Off: 139A, First Floor, Antriksh Bhanaw, 22, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi-110001
Phone No. 011-43502330, 0120-4842400, Fax. No. 0120-2462675
E-Mail Id: company@udtfd.com, Website: www.udtfd.com

Notice of Record Date for payment of Interim Dividend for the financial year 2018-19
Notice is hereby given that pursuant to Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015 read with Section 91 of the Companies Act, 2013 and any other applicable provisions, if any. The Board of Directors have fixed **Saturday, the 9th March, 2019 as Record Date for the purpose of payment of Interim Dividend at 0.60 per Equity Share of Rs. 10 each** declared by them, in the meeting held on 25th February, 2019 for the Financial Year 2018-19.

The Interim Dividend will be paid to the Equity Shareholders of the Company on or from 15th March, 2019.

For United Drilling Tools Limited
Sd/- P.K. Ojha
Date: 27.02.2019 Company Secretary

सिंडिकेट बैंक Syndicate Bank
Branch Office: Khekra. Baghat.

कब्जा नोटिस 8(1), नियम के तहत, सुरक्षा प्रवर्तन नियम, 2002

जैसा कि अधोहस्ताक्षर कर्ता ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत सिंडिकेट बैंक शाखा गांधीबाबाद का प्राधिकृत अधिकारी होने हुए तथा धारा 13(2) सहपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 17.12.2018 को मांग नोटिस जारी किया था जिसमें उधारकर्ता शकुन्तला परिते श्री किशन पाल सिंह, किशन पाल, देवेन्द्र कुमार खाताधारक हैं को मांग नोटिस की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर राशि रु. – 12286292 (रुपये बारह लाख अट्ठाईस हजार दो सौ बान्ने केवल) अदा करने की तिथि तक उस पर ब्याज अदा करने को कहा गया था।

ऋणी द्वारा धनराशि अदा न करने पर ऋणी तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) सहायित उक्त अधिनियम के नियम 8 एवं 9 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 22 फरवरी 2019 को निम्नलिखित वर्णित संपत्तियों का कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से संपत्तियों के मासिक तथा आम तौर पर जनाता को देय संपत्ति के संबंध में कोई भी लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है। इस संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन सिंडिकेट बैंक, चेकड्रा शाखा को देय धनराशि रु. – 1289096.18 (रुपये बारह लाख नवासी हजार छियाबत्त और अठारह पैसे केवल) अदा करने की तिथि तक उस पर ब्याज अदा करने को कहा गया था।

अचल संपत्तियों का विवरण
मांग संकरोड, चेकड्रा बागपत 03090, 250.83 स्क्वैर मीटर। मासिक शकुन्तला **पिसकी सीमाएं**— उत्तर में माम चन्द्र का प्लॉट, दक्षिण में रास्ता, पूर्व में माम चन्द्र की बिल्डिंग और पश्चिम में संसार पाल का प्लॉट।
दिनांक: 22.02.2019 प्राधिकृत अधिकारी
स्थान: गांधीबाबाद। सिंडिकेट बैंक, अंचल कार्यालय,

KVB Karur Vysya Bank
Smart way to Bank
द करूर वैश्य बैंक लि. मंडल कार्यालय, नं. 6, 3 रा तल, मेट्रो पिलर नं. 80, पूसा रोड करोलबाग, नई दिल्ली-110005

नीलामी सूचना तिथि: 26.2.2019
[देखें नियम 8 (6) का प्रावधान]
प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय परिसमाप्ति के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल परिसमाप्ति को विक्री के लिये ई-नीलामी विक्री सूचना एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारकों तथा गारंट्टरों को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूति क्रेडिटर के पास गिरवी/चाउड नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिसका द करूर वैश्य बैंक, प्रतिभूति क्रेडिटर के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा रचनात्मक कब्जा किया गया है, को (क) में, मै. महेश इंडस्ट्रीज प्रा.लि., जिसका पंजीकृत कार्यालय: प्लॉट नं. 72/24, रम्यां पार्क, मुंडका, नई दिल्ली-110041 में है; (ख) श्री अशोक कुमार मिश्र, पुत्र स्व. रतराम मिश्र, निवासी: एच.नं. 2143, सेक्टर 13, अर्वांग इस्टेट, करनाल 132001; (ग) श्री सीरम गोयल, पुत्र श्री सुशील गोयल, निवासी, एच-2/12, सेक्टर-11, रोहिणी, दिल्ली-110085 (घ) श्रीमती सीमा मिश्र, निवासी, एच.नं. 205, सेक्टर-13, अर्वांग इस्टेट करनाल; (ङ) श्री बाबुराम सिंगला, पुत्र मोहुराम सिंगला, निवासी 38, दयानंद विहार, दिल्ली-110092; (च) श्री सुभांशु गुप्ता, पुत्र श्री दर्शनलाल गुप्ता, निवासी: नं. ए-65, प्रियदर्शिनी विहार, दिल्ली-110092; (छ) श्री हिमांशु गुप्ता, पुत्र श्री दर्शनलाल गुप्ता, निवासी: नं. ए-65, प्रियदर्शिनी विहार, दिल्ली-110092; (ज) श्री हरीश सिंगला, पुत्र श्री बाबू राम सिंगला, निवासी बी-40, मधु विहार, आई.पी. एक्सटेंशन, कड़कड़गुमा, त्रिलोकपुरी, दिल्ली-110092; (झ) श्रीमती सुचेता मिश्र, पत्नी श्री हरीश सिंगला, निवासी 38, दयानंद विहार, दिल्ली-110092; (ञ) मै. एसएलजी डेवलपर एंड प्रमोटर प्रा.लि. जिसका पंजीकृत कार्यालय: प्लॉट नं. 6, जीएफ, रम्यां पार्क, मैन रोडवक रोड, मुंडका बेस्ट, दिल्ली-110041 में है; (ट) मै. इमरियल सॉफ्टेक प्रा.लि., जिसका पंजीकृत कार्यालय: 38, दयानंद विहार, दिल्ली-110092 में है, से द करूर वैश्य बैंक, प्रतिभूति क्रेडिटर के बकाये 1.4.2017 से ब्याज के साथ रु. 92,41,11,057.49 (रुपये बान्ने करीब इकतालिस लाख ग्यारह हजार सातान एवं पैसे उन्चत्वार मार) की वसूली के लिये 4.4.2019 (विक्री की तिथि) को "जैसा है जहाँ है", "जैसा है जो है" तथा "जो कुछ भी वहाँ है" आधार पर विक्री को जायेगी।

पर्सनिफिको का विवरण
सर्वलॉन्, बी. सेक्टर-71, गौतम बुधवार, नोएडा-201301, उ.प्र. में प्लॉट नं. 13 में निर्मित आवासीय सम्पत्ति, आवासीय प्लॉट का क्षेत्रफल 450 वर्ग मी। चौकीद:
उत्तर: प्लॉट नं. बी-14
पूर्व: 12.0 मी. चौड़ी सड़क
दक्षिण: प्लॉट बी-12
पश्चिम: मास्टर ड्रीन

आरक्षित मूल्य	रु. 2,90,00,000.00
धरोहर राशि भुगतान	रु. 29,00,000.00
निविदा-रह-नीलामी आवेदन प्रपत्रों को प्राप्त करने की अंतिम तिथि	3.4.2019
सुरक्षित निविदा जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	3.4.2019 को 3 बजे अप. तक आरपीएडी द्वारा व्यक्तित रूप से
निविदा खुलने तथा उस पर नीलामी की तिथि एवं समय	4.4.2019 को 11.00 बजे पूर्वा. में तथा नीलामी द करूर वैश्य बैंक, मंडल कार्यालय, नं. 6, 3 रा तल, मेट्रो पिलर नं. 80 के सामने, पूसा रोड, करोलबाग, नई दिल्ली-110005 में cautions.samil.in माध्यम से प्रिंट 5 मिनेट के ऑनलाइन विवरणों के साथ 11.00 बजे पूर्वा. से 11.30 पूर्वा. तक ऑनलाइन को जायेगी।

महत्वपूर्ण नियम एवं शर्तें

- इच्छुक बोलीदाता को द करूर वैश्य बैंक लि. के पक्ष में दिल्ली में देय डीडी/ पीओ द्वारा ईएमडी के रूप में संपत्ति के आरक्षित मूल्य के 10% का भुगतान करना होगा।
- सफल बोलीदाता को उनके पक्ष में विक्री के तत्काल बाद 25% बोली राशि (ई.एम.डी. सहित) का भुगतान करना होगा तथा शेष राशि का भुगतान 15 दिनों के भीतर किया जायेगा।
- सफल बोलीदाता को कानून के अनुसार याता त्पत्रीकरण शुल्क, स्टाम्प शुल्क आदि जैसे कानूनीयन के लिये देय चार्जेज, शुल्क का भुगतान करना होगा।
- प्राधिकृत अधिकारी को उसका कोई भी कारण बताये बिना किसी बोली का स्वीकार या अस्वीकार करने अथवा विक्री के किसी भी नियमों एवं शर्तों को निलंबित/ रद्द करने/ संशोधित करने का अधिकार है।
- यह नीलामी सूचना का केवल सहीचन रूप है। नीलामी सूचना को सम्पूर्ण प्रति अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध है।
- नीलामी के सफल क्रेता को बोली राशि से अतिरिक्त लगू होने वाले टैक्स/एर/ टैडीएस का भुगतान करना होगा।

जीप व बाइक की भिड़त, दो की मौत

धौलपुर, 27 फरवरी (भाषा)। धौलपुर जिले के मनियां थाना क्षेत्र में मंगलवार की रात पिक अप जीप ने सड़क किनारे खड़ी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे दो युवकों की मौत हो गई।

सार्वजनिक सूचना
सर्व जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, 2008 की धारा 13(3) तथा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप नियम, 2009 के नियम 17(4) के तहत मेसर्स प्युवर राजधानी बिजनेस एलएएलपीओ अपने पंजीकृत कार्यालय 109, चौपरी परिसर, 9, बी.बाबाद कार्यालय, शाकपुर, पूर्वी दिल्ली, दिल्ली-110092 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से उत्तर प्रदेश राज्य में स्थानान्तरित करने हुए एक आवेदन प्रस्तुत करने के लिए तारीख 25.02.2019 को आयोजित असाधारण साधारण अधिवेशन में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ में कम्पनी के संगम साधन संशोधन की पुष्टि करने का यह है।

मामले में जांचिकाओं द्वारा जनाता को वे नॉटिस दी जाती है कि यह कम्पनी केंद्रीय सरकार के समक्ष कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 13 अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत का प्रस्ताव करती है जिसमें कम्पनी का रजिस्ट्रेशन कार्यालय 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली' से 'उत्तर प्रदेश राज्य' में स्थानान्तरित करने के लिए तारीख 25.02.2019 को आयोजित असाधारण साधारण अधिवेशन में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ में कम्पनी के संगम साधन संशोधन की पुष्टि की मांग की गई है।

कम्पनी के रजिस्ट्रेशन कार्यालय के प्रस्तावित स्थानान्तरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो विशेषज्ञ समूह का सदस्य बनकर या 'मैट्रिक्स' पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक प्रमाण पत्र जिसमें उक्त हित का प्रभाव और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो के साथ अपनी आपीत प्रतिलिपि को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के भीतर प्रादेशिक निदेशक की-2, विद्युत, दूरतार, परिवहन विभाग, सीजीओ कार्यालय, नई दिल्ली-110003 पते पर पंजीकृत अकांक्षा द्वारा जमा सकता है या सूचित कर सकते हैं और इसकी प्रति आवेदन कम्पनी को उनके निम्नलिखित रजिस्ट्रार कार्यालय पते पर भी भेजेंगे:

आवेदन के लिए और आवेदन की ओर से **प्युवर राजधानी बिजनेस एलएएलपीओ**
एम्/डी **सतीश कुमार गोयल**
डेविनेटेड पार्टनर

दिनांक : 27.02.2019
स्थान : दिल्ली

KVB Karur Vysya Bank
Smart way to Bank
द करूर वैश्य बैंक लि. मंडल कार्यालय, नं. 6, 3 रा तल, मेट्रो पिलर नं. 80, पूसा रोड करोलबाग, नई दिल्ली-110005

नीलामी सूचना तिथि: 26.2.2019
[देखें नियम 8 (6) का प्रावधान]
प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय परिसमाप्ति के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल परिसमाप्ति को विक्री के लिये ई-नीलामी विक्री सूचना एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारकों तथा गारंट्टरों को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूति क्रेडिटर के पास गिरवी/चाउड नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिसका द करूर वैश्य बैंक, प्रतिभूति क्रेडिटर के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा रचनात्मक कब्जा किया गया है, को (क) में, मै. महेश इंडस्ट्रीज प्रा.लि., जिसका पंजीकृत कार्यालय: प्लॉट नं. 72/24, रम्यां पार्क, मुंडका, नई दिल्ली-110041 में है; (ख) श्री अशोक कुमार मिश्र, पुत्र स्व. रतराम मिश्र, निवासी: एच.नं. 2143, सेक्टर 13, अर्वांग इस्टेट, करनाल 132001; (ग) श्री सीरम गोयल, पुत्र श्री सुशील गोयल, निवासी, एच-2/12, सेक्टर-11, रोहिणी, दिल्ली-110085 (घ) श्रीमती सीमा मिश्र, निवासी, एच.नं. 205, सेक्टर-13, अर्वांग इस्टेट करनाल; (ङ) श्री बाबुराम सिंगला, पुत्र मोहुराम सिंगला, निवासी 38, दयानंद विहार, दिल्ली-110092; (च) श्री सुभांशु गुप्ता, पुत्र श्री दर्शनलाल गुप्ता, निवासी: नं. ए-65, प्रियदर्शिनी विहार, दिल्ली-110092; (छ) श्री हिमांशु गुप्ता, पुत्र श्री दर्शनलाल गुप्ता, निवासी: नं. ए-65, प्रियदर्शिनी विहार, दिल्ली-110092; (ज) श्री हरीश सिंगला, पुत्र श्री बाबू राम सिंगला, निवासी बी-40, मधु विहार, आई.पी. एक्सटेंशन, कड़कड़गुमा, त्रिलोकपुरी, दिल्ली-110092; (झ) श्रीमती सुचेता मिश्र, पत्नी श्री हरीश सिंगला, निवासी 38, दयानंद विहार, दिल्ली-110092; (ञ) मै. एसएलजी डेवलपर एंड प्रमोटर प्रा.लि. जिसका पंजीकृत कार्यालय: प्लॉट नं. 6, जीएफ, रम्यां पार्क, मैन रोडवक रोड, मुंडका बेस्ट, दिल्ली-110041 में है; (ट) मै. इमरियल सॉफ्टेक प्रा.लि., जिसका पंजीकृत कार्यालय: 38, दयानंद विहार, दिल्ली-110092 में है, से द करूर वैश्य बैंक, प्रतिभूति क्रेडिटर के बकाये 1.4.2017 से ब्याज के साथ रु. 92,41,11,057.49 (रुपये बान्ने करीब इकतालिस लाख ग्यारह हजार सातान एवं पैसे उन्चत्वार मार) की वसूली के लिये 4.4.2019 (विक्री की तिथि) को "जैसा है जहाँ है", "जैसा है जो है" तथा "जो कुछ भी वहाँ है" आधार पर विक्री को जायेगी।

पर्सनिफिको का विवरण
सर्वलॉन्, बी. सेक्टर-71, गौतम बुधवार, नोएडा-201301, उ.प्र. में प्लॉट नं. 13 में निर्मित आवासीय सम्पत्ति, आवासीय प्लॉट का क्षेत्रफल 450 वर्ग मी। चौकीद:
उत्तर: 18 मीटर सड़क
पूर्व: 12.0 मीटर चौड़ी सड़क
दक्षिण: प्लॉट बी-12
पश्चिम: मास्टर ड्रीन

KVB Karur Vysya Bank
Smart way to Bank
द करूर वैश्य बैंक लि. मंडल कार्यालय, नं. 6, 3 रा तल, मेट्रो पिलर नं. 80, पूसा रोड करोलबाग, नई दिल्ली-110005

नीलामी सूचना तिथि: 26.2.2019
[देखें नियम 8 (6) का प्रावधान]
प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय परिसमाप्ति के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में बैंक ऑफ इंडिया, 4/6, डी.डी. गुप्ता रोड, पहाड़गंज, नई दिल्ली-110005 के प्राधिकृत अधिकारी मौजूदा अधोहस्ताक्षरी ने इस सूचना की तिथि से 30 दिनों के भीतर उस पर भावी ब्याज मासिक शेषों के साथ @13.60 प्रतिशत प्रतिवर्ष कम्पाउंडिंग और सभी लागतों, शुल्कों और आगके द्वारा पुनर्गुठान तक बैंक द्वारा व्यय सहित सूचना में वर्णित राशि रु. 27,65,90,778.78 (रुपय सत्ताईस कराड़ पैंसठ लाख नब्बे हजार सात सौ अठत्तर और पैसे अठत्तर) (सूचना 13(2) की तिथि तक अनुबंध ऋण) का भुगतान करने के लिए मेसर्स स्वदेशी एलुमिनियम कं. लि. (ऋणी), श्री सत्पाल नागापाल निदेशक (डीआईएन-01335798) संजय नागापाल, निदेशक (डीआईएन-01156634), श्री सयान नागापाल निदेशक (डीआईएन-02479628) पुत्र श्री आर.बी. नागापाल, श्री सोमनाथ भूटानी पुत्र श्री आर.पी. भूटानी, गारंटर (डीआईएन-01544457) (गारंटर), श्रीमती काला भूटानी (गारंटर) पत्नी श्री सोमनाथ भूटानी को बुलाने के लिए निर्दिष्ट 20.02.2019 को मांग सूचना जारी की थी। ऋणी/गारंटर राशि का भुगतान करने में असफल रहे, एतद्द्वारा ऋणी/गारंटर और संसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमों के नियम 9 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उर्ध्व प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में यहां नीचे वर्णित संपत्ति पर 20 फरवरी, 2019 को कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से ऋणी/गारंटर और सर्वसाधारण को एतद्द्वारा संपत्ति के साथ लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति/यों के साथ किया गया कोई भी लेन-देन उसपर भावी ब्याज मासिक शेषों के साथ @13.60 प्रतिशत प्रतिवर्ष कम्पाउंडिंग और सभी लागतों, शुल्कों और आगके द्वारा पुनर्गुठान तक बैंक द्वारा व्यय सहित सूचना में वर्णित राशि रु. 27,65,90,778.78 (रुपय सत्ताईस कराड़ पैंसठ लाख नब्बे हजार सात सौ अठत्तर और पैसे अठत्तर) (सूचना 13(2) की तिथि तक अनुबंध ऋण) के लिए बैंक ऑफ इंडिया, 4/6, डी.डी. गुप्ता रोड, पहाड़गंज, नई दिल्ली-110055 के प्रभार का विषय होगा।

पर्सनिफिको का विवरण
सर्वलॉन्, बी. सेक्टर-71, गौतम बुधवार, नोएडा-201301, उ.प्र. में प्लॉट नं. 13 में निर्मित आवासीय सम्पत्ति, आवासीय प्लॉट का क्षेत्रफल 450 वर्ग मी। चौकीद:
उत्तर: प्लॉट नं. बी-14
पूर्व: 12.0 मी. चौड़ी सड़क
दक्षिण: प्लॉट बी-12
पश्चिम: मास्टर ड्रीन

Bank of India
4/6, डी.डी. गुप्ता रोड, पहाड़गंज, नई दिल्ली-110065
फोन: 011-28833127/128.
ई-मेल: paharganj.NewDelhi@bankofindia.co.in
(देखें नियम 8(1))
कब्जा सूचना (प्रीलिम्नरी अचल संपत्ति के लिए)

चूंकि, वित्तीय परिसमाप्ति के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (नियम का 54) के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) अधिनियम, 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में बैंक ऑफ इंडिया, 4/6, डी.डी. गुप्ता रोड, पहाड़गंज, नई दिल्ली-110005 के प्राधिकृत अधिकारी मौजूदा अधोहस्ताक्षरी ने इस सूचना की तिथि से 30 दिनों के भीतर उस पर भावी ब्याज मासिक शेषों के साथ @13.60 प्रतिशत प्रतिवर्ष कम्पाउंडिंग और सभी लागतों, शुल्कों और आगके द्वारा पुनर्गुठान तक बैंक द्वारा व्यय सहित सूचना में वर्णित राशि रु. 27,65,90,778.78 (रुपय सत्ताईस कराड़ पैंसठ लाख नब्बे हजार सात सौ अठत्तर और पैसे अठत्तर) (सूचना 13(2) की तिथि तक अनुबंध ऋण) का भुगतान करने के लिए मेसर्स स्वदेशी एलुमिनियम कं. लि. (ऋणी), श्री सत्पाल नागापाल निदेशक (डीआईएन-01335798) संजय नागापाल, निदेशक (डीआईएन-01156634), श्री सयान नागापाल निदेशक (डीआईएन-02479628) पुत्र श्री आर.बी. नागापाल, श्री सोमनाथ भूटानी पुत्र श्री आर.पी. भूटानी, गारंटर (डीआईएन-01544457) (गारंटर), श्रीमती काला भूटानी (गारंटर) पत्नी श्री सोमनाथ भूटानी को बुलाने के लिए निर्दिष्ट 20.02.2019 को मांग सूचना जारी की थी। ऋणी/गारंटर राशि का भुगतान करने में असफल रहे, एतद्द्वारा ऋणी/गारंटर और संसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमों के नियम 9 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उर्ध्व प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में यहां नीचे वर्णित संपत्ति पर 20 फरवरी, 2019 को कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से ऋणी/गारंटर और सर्वसाधारण को एतद्द्वारा संपत्ति के साथ लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति/यों के साथ किया गया कोई भी लेन-देन उसपर भावी ब्याज मासिक शेषों के साथ @13.60 प्रतिशत प्रतिवर्ष कम्पाउंडिंग और सभी लागतों, शुल्कों और आगके द्वारा पुनर्गुठान तक बैंक द्वारा व्यय सहित सूचना में वर्णित राशि रु. 27,65,90,778.78 (रुपय सत्ताईस कराड़ पैंसठ लाख नब्बे हजार सात सौ अठत्तर और पैसे अठत्तर) (सूचना 13(2) की तिथि तक अनुबंध ऋण) के लिए बैंक ऑफ इंडिया, 4/6, डी.डी. गुप्ता रोड, पहाड़गंज, नई दिल्ली-110055 के प्रभार का विषय होगा।

अचल संपत्तियों का विवरण
सर्वलॉन्, बी. सेक्टर-71, गौतम बुधवार, नोएडा-201301, उ.प्र. में प्लॉट नं. 13 में निर्मित आवासीय सम्पत्ति, आवासीय प्लॉट का क्षेत्रफल 450 वर्ग मी। चौकीद:
उत्तर: प्लॉट नं. बी-14
पूर्व: 12.0 मी. चौड़ी सड़क
दक्षिण: प्लॉट बी-12
पश्चिम: मास्टर ड्रीन

आरक्षित मूल्य	रु. 2,90,00,000.00
धरोहर राशि भुगतान	रु. 29,00,000.00
निविदा-रह-नीलामी आवेदन प्रपत्रों को प्राप्त करने की अंतिम तिथि	3.4.2019
सुरक्षित निविदा जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	3.4.2019 को 3 बजे अप. तक आरपीएडी द्वारा व्यक्तित रूप से
निविदा खुलने तथा उस पर नीलामी की तिथि एवं समय	4.4.2019 को 11.00 बजे पूर्वा. में तथा नीलामी द करूर वैश्य बैंक, मंडल कार्यालय, नं. 6, 3 रा तल, मेट्रो पिलर नं. 80 के सामने, पूसा रोड, करोलबाग, नई दिल्ली-110005 में cautions.samil.in माध्यम से प्रिंट 5 मिनेट के ऑनलाइन विवरणों के साथ 11.00 बजे पूर्वा. से 11.30 पूर्वा. तक ऑनलाइन को जायेगी।

महत्वपूर्ण नियम एवं शर्तें

- इच्छुक बोलीदाता को द करूर वैश्य बैंक लि. के पक्ष में दिल्ली में देय डीडी/ पीओ द्वारा ईएमडी के रूप में संपत्ति के आरक्षित मूल्य के 10% का भुगतान करना होगा।
- सफल बोलीदाता को उनके पक्ष में विक्री के तत्काल बाद 25% बोली राशि (ई.एम.डी. सहित) का भुगतान करना होगा तथा शेष राशि का भुगतान 15 दिनों के भीतर किया जायेगा।
- सफल बोलीदाता को कानून के अनुसार याता त्पत्रीकरण शुल्क, स्टाम्प शुल्क आदि जैसे कानूनीयन के लिये देय चार्जेज, शुल्क का भुगतान करना होगा।
- प्राधिकृत अधिकारी को उसका कोई भी कारण बताये बिना किसी बोली का स्वीकार या अस्वीकार करने अथवा विक्री के किसी भी नियमों एवं शर्तों को निलंबित/ रद्द करने/ संशोधित करने का अधिकार है।
- यह नीलामी सूचना का केवल सहीचन रूप है। नीलामी सूचना को सम्पूर्ण प्रति अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध है।
- नीलामी के सफल क्रेता को बोली राशि से अतिरिक्त लगू होने वाले टैक्स/एर/ टैडीएस का भुगतान करना होगा।

KVB Karur Vysya Bank
Smart way to Bank
द करूर वैश्य बैंक लि. मंडल कार्यालय, नं. 6, 3 रा तल, मेट्रो पिलर नं. 80, पूसा रोड करोलबाग, नई दिल्ली-110005

नीलामी सूचना तिथि: 26.2.2019
[देखें नियम 8 (6) का प्रावधान]

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय परिसमाप्ति के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल परिसमाप्ति को विक्री के लिये ई-नीलामी विक्री सूचना एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारकों तथा गारंट्टरों को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूति क्रेडिटर के पास गिरवी/चाउड नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिसका द करूर वैश्य बैंक, प्रतिभूति क्रेडिटर के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा रचनात्मक कब्जा किया गया है, को (क) में, मै. महेश इंडस्ट्रीज प्रा.लि., जिसका पंजीकृत कार्यालय: प्लॉट नं. 72/24, रम्यां पार्क, मुंडका, नई दिल्ली-110041 में है; (ख) श्री अशोक कुमार मिश्र, पुत्र स्व. रतराम मिश्र, निवासी: एच.नं. 2143, सेक्टर 13, अर्वांग इस्टेट, करनाल 132001; (ग) श्री सीरम गोयल, पुत्र श्री सुशील गोयल, निवासी, एच-2/12, सेक्टर-11, रोहिणी, दिल्ली-110085 (घ) श्रीमती सीमा मिश्र, निवासी, एच.नं. 205, सेक्टर-13, अर्वांग इस्टेट करनाल; (ङ